बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांक–

संख्या–1/स्था0 (2) 06/2023 (खंड–3)– 4224 /सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300, दिनांक–13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के क्रम में गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक–09.07.2026 को आयोजित बैठक की अनुशंसा के आलोक में पूर्णतः अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार मत्स्य सेवा संवर्ग के जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को उप मत्स्य निदेशक में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर–11) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है :–

क्र०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान कोटि
1	2	3
1.	श्री विपिन जिला मत्स्य पदाधिकारी सम्प्रति अपने ही कोटि वेतनमान में प्रभारी उप मत्स्य निदेशक, मगध परिक्षेत्र, गया जी	जिला मत्स्य पदाधिकारी

2. संबंधित पदाधिकारी पदस्थापन होने तक वर्तमान धारित पदस्थापन पर ही उत्क्रमित पद का प्रभार ग्रहण करेंगे।

3. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने वाले पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में अर्हता को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाये जाने पर संबंधित कर्मियों को प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा भुगतान की गयी अंतर राशि को भी वसूली कर ली जायेगी।

4. कार्यकारी व्यवस्था के तहत विहित वेतनमान में उच्चतर पद पर उत्क्रमित करते हुये दिया गया कार्यकारी प्रभार माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर अपीलवाद सं0–11/2019 निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बनाम विपिन के मामले में पारित होने वाले अंतिम न्याय निर्णय के फलाफल से प्रभावित होगा।

5. कार्यकारी व्यवस्था के तहत विहित वेतनमान में उच्चतर पद पर उत्क्रमित करते हुये दिया गया कार्यकारी प्रभार माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील सं0–4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वादों में पारित होने वाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

6. उपर्युक्त अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–19300, दिनांक–13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में की गयी है, जो इस नियमावली में किसी भी परिवर्तन के फलाफल से प्रभावित होगी।

7. उपर्युक्त पदाधिकारी द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक उप मत्स्य निदेशक (विहित वेतनमान–वेतन स्तर–11) में उत्क्रमित किया जाता है।

8. उपर्युक्त पदाधिकारी का पदभार ग्रहण करने की तिथि से उप मत्स्य निदेशक के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(नीरज कुमार देवनाथ)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था0 (2) 06/2023 (खंड–3)– /पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः–ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को संगत सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था0 (2) 06/2023 (खंड–3)– /पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) अनुरोध है कि उपर्युक्त अधिसूचना में अंकित पदाधिकारी को उप मत्स्य निदेशक में, विहित वेतनमान (वेतन स्तर–11) सहित दी गयी अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार के संबंध में सम्पुष्ट होने के पश्चात् (वेतन स्तर–11 के संबंध में) वेतन निर्धारण/वेतन पूर्जा निर्गत करेंगे।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था0 (2) 06/2023 (खंड–3)– /पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना/सभी संयुक्त मत्स्य निदेशक, बिहार/सभी उप मत्स्य निदेशक, बिहार/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था0 (2) 06/2023 (खंड–3)– 4225 /पटना–15, दिनांक– 07/8/26

प्रतिलिपिः–आई0टी0 प्रबंधक, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6.8.26

सरकार के अवर सचिव।